भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3341

07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत लंबित केन्द्रीय परिव्यय

†3341. एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्ज:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत केरल राज्य को देय 616.28 करोड़ रुपये की राशि जारी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) विशिष्ट तकनीकी मानदंड, परिचालन अनुपालन संबंधी मानक अथवा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में क्या विलंब हुआ जिनके कारण महत्वपूर्ण स्वास्थ्य निधियां लंबे समय तक लंबित रही हैं;
(ग) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्य को कुल कितनी केन्द्रीय निधि जारी की गई है;
(घ) क्या सरकार को लंबित निधियों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के कार्यकरण पर पड़ने वाले प्रभाव संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) स्थानीय स्वास्थ्य अवसंरचना के समक्ष उत्पन्न संकट के कारण व्यवधान से बचने के लिए सत्यापित बकाया देयों का निपटान करने हेतु सरकार द्वारा प्रस्तावित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): समान, वहनीय एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। सरकार द्वारा केरल सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता तथा विशेष रूप से वंचित एवं उपांत समूहों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता एवं पहुँच में सुधार हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, जन स्वास्थ्य एवं अस्पताल राज्य का विषय है। अतः केरल सहित सभी नागरिकों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत निधियों को जारी करना, केरल सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अधीन होता है। सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भारत सरकार के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की रूपरेखा के अनुसार समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित करते हैं, जो खंड 10.3 तथा 10.10 के अनुसार राज्यों के लिए एनएचएम के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य बनता है।

वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत केरल राज्य को जारी की गई केंद्रीय धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

वित्त वर्ष	**केंद्र द्वारा जारी धनराशि**
2023-24	189.15
2024-25	1,351.78
2025-26	813.16
